Title: Papers laid on the Table of the House.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, आपकी अनुमित से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
 - (तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9390/17/23]

- (3) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - वर्ष 2021-2022 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का 72वां वार्षिक प्रतिवेदन ।
 - प्रतिवेदन के अध्याय 9 में संदर्भित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9391/17/23]

- अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत (4) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (कांडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2023 जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो 14 फरवरी,
- (चार) 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- सा.का.नि. 96(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं। सा.का.नि. 97(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में
- (छह) प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (कांडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 133(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9392/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह ?क? पद) भर्ती नियम, 2023, जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह ?ख? पद) भर्ती नियम, 2023, जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पंजीयक) भर्ती नियम, 2023, जो ७ मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9393/17/23]

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

- लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9394/17/23]

? (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदया, आपकी अनुमित से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9395/17/23]

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ.955(अ) जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.का.आ. 645(अ) को निरस्त किया गया है।
 - (दो) का.आ.207(अ) जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 मई, 2022 की अधिसूचना सं.का.आ. 2307(अ) को निरस्त किया गया है।
 - (तीन) का.आ.208(अ), जो 12 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय सरकार कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
 - (चार) का.आ.575(अ), जो 3 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड, रांची को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.934(अ), जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ ?श्रेणी क अन्वेषण एजेंसियां? के अंतर्गत मैसर्स नोवोमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ?श्रेणी ख अन्वेषण एजेंसियां? के अंतर्गत मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9396/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं आपकी अनुमित से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 403(अ) जो 25 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों में कितपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9397/17/23]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9398/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil), Hyderabad, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil), Hyderabad, for the year 2021-2022.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9399/17/23]

(5) A copy of the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.125(E) in Gazette of India dated 24th February, 2023, under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 together with a Statement of Objects and Reasons and Explanatory Notes.

[Placed in Library, See No. LT 9400/17/23]

- (6) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the NEIA (National Export Insurance Account) Trust, Mumbai, for the year 2021-2022, together with Audit report thereon.
 - (ii) A copy of the Review of (Hindi and English versions) by the Government on the Annual Accounts of the NEIA (National Export Insurance Account), Mumbai, for the year 2021-2022.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 9401/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shrimati Darshana Vikram Jardosh, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Art Silk Mills? Research Association (Sasmira), Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Art Silk Mills? Research Association (Sasmira), Mumbai, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9402/17/23]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2021-2022.

- (ii) Annual Report of the Jute Corporation of India Limited, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9403/17/23]

(5) A copy of Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Textiles for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9404/17/23]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2021-2022.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 9405/17/23]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2021-2022.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 9406/17/23]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad, for the year 2021-2022.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 9407/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9408/17/23]

- (3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design Haryana, Kurukshetra, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9409/17/23]

- (5) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Andhra Pradesh, for the years 2020-2021 and 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9410/17/23]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, , 2016:-
 - (i) The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5972(E) in Gazette of India dated 21st December, 2022.
 - (ii) The Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5850(E) in Gazette of India dated 14th December, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 9411/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions)

published in Notification No. G.S.R.17(E) in Gazette of India dated 10th January, 2023 under sub-section (4) Sections 74 of the Indian Post Office Act, 1898, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 85(E) dated 7th February, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9412/17/23]